1 c

10676
16.10.17

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय :— झारखंड सचिवालय सेवा के सहायक संवर्ग की विभागीय परीक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण।

झारखंड सचिवालय सेवा के सहायक संवर्ग की विभागीय परीक्षा के पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम को वर्तमान में कतिपय अधिनियमों तथा नियमावलियों के गठन के फलस्वरूप संशोधित करने की आवश्यकता विभागीय स्तर पर समझा गया। इस परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत उक्त विभागीय परीक्षा के पाठ्यक्रम को विभाग द्वारा निम्नवत् निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है :—

प्रथम पत्र

विषय :—

1. झारखंड सचिवालय अनुदेश
2. झारखंड कार्यपालिका नियमावली
3. भारत के संविधान का पार्ट II, III, IV, IVA, V, VI, IX, IXA तथा अध्याय II का पार्ट XIV
4. झारखंड सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976
5. झारखंड लोक सेवा आयोग (कार्य सीमन) विनियम, 2000
6. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा उसके तहत बनी नियमावली
7. झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010/झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010/झारखंड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा नियमावली, 2011
8. झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016

द्वितीय पत्र

विषय :—

1. टिप्पणी लेखन
2. विभिन्न प्रकार के सरकारी पत्र — परिभाषा एवं प्रारूपण
3. परिसंक्षेपण

तृतीय पत्र

विषय :—

1. झारखंड सेवा संहिता एवं इससे संबंधित अद्यतन परिपत्र
2. झारखंड पेंशन नियमावली एवं इससे संबंधित अद्यतन परिपत्र
3. झारखंड यात्रा नियमावली एवं इससे संबंधित अद्यतन परिपत्र
4. झारखंड वित्त नियमावली एवं इससे संबंधित अद्यतन परिपत्र
5. योजना एवं बजट संबंधी कार्य, नियम तथा अद्यतन परिपत्र

2. सहायकों की संपुष्टि एवं प्रोन्नति हेतु उपर्युक्त तीनों पत्रों में अलग–अलग न्यूनतम 40% अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, परंतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना ही आवश्यक होगा। परीक्षा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा तथा प्रत्येक पत्र तीन घंटे की अवधि का होगा।

3. प्रत्येक पत्र का पूर्णांक 100 (एक सौ) अंकों का होगा।

4. विभागीय परीक्षा का संचालन राजस्व पर्षद, झारखंड, राँची द्वारा किया जायेगा।

5. राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा के किसी पत्र में अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी को अगली परीक्षा में सिर्फ उसी पत्र में उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

6. संवर्ग के सदस्यों को संपुष्टि एवं प्रोन्नति हेतु अपेक्षित अन्य अर्हताओं को भी पूरा करना आवश्यक होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को सूचनार्थ भेज दी जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

16/10/17

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 8/नीति–01/2017 का॰ 10676 /राँची, दिनांक 16/ 10/ 2017

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखंड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखंड विधान सभा/राज्यपाल सचिवालय एवं मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

16/10/17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 8/नीति–01/2017 का॰ 10676 /राँची, दिनांक 16/ 10/ 2017

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई॰-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

2. इसकी 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

16/10/17

सरकार के प्रधान सचिव।